राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर (म0प्र0)

R- 3305/II/2015

नारायणदास गुप्ता तनय कुंजबिहारी गुप्ता उम्र–42 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम कुचवाही, तहसील बहरी, जिला–सीधी (म0प्र0) ---------पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. अमरजीत गुप्ता तनय रामसुमेर गुप्ता उम्र–55 वर्ष,
2. राजराखन तनय रामसुन्दर जायसवाल उम्र–42 वर्ष,
3. बुद्वसेन तनय ललईराम उम्र–60 वर्ष,
4. बृहस्पति तनय ललईराम ब्राम्हण उम्र–40 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम पड़रिया, तहसील बहरी, जिला–सीधी (म0प्र0)

---------गैर पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्व प्रस्ताव न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोपदबनास/सिहावल/बहरी जिला–सीधी मध्यप्रदेश प्रकरण क्रमांक 32/अ–74/2014–2015 आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2015 नामी प्रकरण अमरजीत गुप्ता बनाम राजराखन बगैरह को निरस्त किये जाने बाबत्।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य :–

1. यह कि गैर पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 अमरजीत गुप्ता के द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–89 के अनतर्गत तहसीलदार सिहावल के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3305–दो/2015 जिला सीधी

नारायण दास गुप्ता विरूद्ध अमरजीत गुप्ता आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–2–2019	आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 32/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 18/02/2019 (आर0के0 जैन) सदस्य	